



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1318]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 26, 2007/कार्तिक 4, 1929

No. 1318]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 2007/KARTIKA 4, 1929

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2007

New Delhi, the 26th October, 2007

का.आ. 1838(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में यह निदेश देते हैं कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक (चाहे वह उप-राज्यपाल या प्रशासक के नाम से ज्ञात हो) राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन रहते हुए और अगले आदेश होने तक, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) के अधीन, उस संघ राज्य क्षेत्र के भीतर राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन भी करेगा।

S.O. 1838(E).— In pursuance of clause (1) of Article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of every Union Territory (whether known as Lieutenant Governor or Administrator), shall subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (No. 43 of 2005) within that Union Territory.

[फा. सं. यू-11030/2/2007-यूटीएल]

[F.No. U-11030/2/2007-UTL]

बी.ए. कुटिनो, संयुक्त सचिव

B.A. COUTINHO, Jt. Secy.